

मध्यप्रदेश विधान सभा

करवारी-मई, 1994 सत्र

कैनिक विधायक सूची

शनिवार, दिनांक 8 अप्रैल, 1994 (वैत्र 19, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री चरणदास महन्त, राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश सामान्य विक्रान्त कर अधिनियम 1958 (क्रमांक 2 सन् 1959) की धारा 11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94 वि.क. पांच (53), दिनांक 30 मार्च, 1994 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 130 (1) के आधीन ध्यानालंबण

(1) श्री रविन्द्र शांति, सदस्य, मंदसौर जिले में डोडा धूरा की तस्करी में हिप्पा तस्करों पर विधायिकाओं ने होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, रायसेन जिले की टपरा पठारी खदान के बंधुआ मजदूरों को दी जा रही यातनाओं की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री नोबेल कुमार वर्मा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रायगढ़ के पातरापाली स्थित जिन्दल स्ट्रिप्स कारखाने में दुर्घटना से कई श्रमिकों की मृत्यु होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के अनेक क्षेत्रों में कृषकों को निस्तार हेतु लकड़ी न दिये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री कंकर मुंजारे, सदस्य, बालाघाट के पंडित मोतीलाल नेहरू आदिम जाति कल्याण छात्रावास के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि का गबन किये जाने की ओर आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री मनोहरलाल राठोर, रामलखन शर्मा, रमेश शर्मा "गुददू भैया", सदस्य, भोपाल के लालघाटी क्षेत्र में डकैती की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री शिवप्रताप सिंह (सुरजपुर), सदस्य, कोरिया बन मण्डल के बैकुण्ठपुर पश्चिम में वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री सुनील जैन, सदस्य, सागर जिले के केसली विकासखण्ड में सर्वों के अत्याचार से एक महिला द्वारा अपनी बच्ची सहित आत्महत्या करने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री निर्धय सिंह पटेल, ताराचन्द साहू, रामलखन शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले में डकैती की घटनाओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री नन्द कुमार सिंह चौहान, सदस्य, बुरहानपुर तहसील के ग्राम मकाना निवासी युवक के साथ पुलिस द्वारा अकारण मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य, रीवा जिले के मठगंज में नायब तहसीलदार द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर उपमुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री वृजमोहन अग्रवाल, बाबूलाल गौर, सदस्य, बस्तर जिले के कोणडागांव में डकैती की घटना की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) सर्वश्री वृजमोहन अग्रवाल, उदय मुदतियार, धनेश पटिला, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में डकैतों द्वारा हत्या एवं लूट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) सर्वश्री धावरचन्द गेहलोत, बाबूलाल गौर, सदस्य, गरोठ तहसील के ग्राम खजुरीपांथ में दो बच्चों की हुई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भेल झेत्र में शासकीय कन्या महाविद्यालय खोलने,
- (2) श्री मोती कश्यप, सदस्य -
- (क) जबलपुर के आधारताल, उप नगरीय झेत्र में शासकीय महिला विज्ञान महाविद्यालय स्थापित किये जाने, तथा
(ख) जबलपुर के दमोह नाका छोराहा स्थित प्रांगण में शासकीय उ.मा. विद्यालय खोलने,
- (3) श्री चिरोजी लाल सोनकर, सदस्य -
- (क) विदिशा जिले में जवारी नदी पर स्टापडेम बनाने, तथा
(ख) विदिशा जिले के ग्राम सियलपुर में पुलिया बनाने,
- (4) श्री दिलीप भट्टेरे, सदस्य -
- (क) बिलासपुर जिले के ग्राम आवा (पटेल टोला) में पानी की समस्या का निदान, तथा
(ख) बिलासपुर जिले के ग्राम आवा (नकटा टोला) में पानी की समस्या का निदान,
- (5) डॉ. कन्हैया लाल शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम टेमरी के दतला नाले पर पुल बनाये जाने,
- (6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य -
- (क) रीवा जिले के ग्राम बहुती के प्राइवेट हायर सेकेण्डरी स्कूल को शासनाधीन करने,
(ख) रीवा जिले के ग्राम मलैगवां में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,
(ग) रीवा जिले के ग्राम तेदुआ में पेयजल समस्या का निदान,
(घ) रीवा जिले के ग्राम पहाड़ी में पेयजल की समस्या का निदान,
(ड.) रीवा जिले के ग्राम तेदुआ की गोरमा उद्वहन सिचाई योजना को पूर्ण कराये जाने,
(च) रीवा जिले के ग्राम बहुती से हनुमना तक जाने वाली सड़क का डामरीकरण, तथा
(छ) रीवा जिले के ग्राम मगनिया की तिन मोहार उद्वहन सिचाई योजना को पूर्ण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे।

5. वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक पर सामान्य अर्था (क्रमशः)

भोपाल :
दिनांक : 8 अप्रैल, 1994

शीला खाचा
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा